संख्या– 200 /XVI-2/10/7(28)/2010

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 28 मई,2010

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 की आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या187/XXVII(1)/2010,दिनांक–30 मार्च,2010 पत्र संख्या–276/XXVII(1)/2010,दिनांक–25 मई,2010 एवं प्रमुख सचिव, नियोजन के पत्र संख्या–1407/123/रा0यो0आ0/प्लान/2010, दिनांक–29 अप्रैल,2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत कुल प्राविधानित **रू0–2650 हजार के सापेक्ष सम्प्रति रू0–740 हजार (रूपये सात लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों के किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010,दिनांक–30 मार्च,2010 एवं पत्र संख्या–276 XXVII(1)/ 2010, दिनांक–25 मई,2010**(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम)· वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम)आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

...2/–

6– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि अनावश्यक रूप से बैंकों में पार्किंग के रूप में न रखी जाय।

7– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

9– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए ही किया जा रहा है।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित योजनाओं एवं उनकी सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या–276/XXVII(1)/2010,दिनांक–25 मई,2010 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 200 /XVI-2/10/7(28)/2010,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– 200 /XVI-2/10/7(28)/2010 दिनांक: 28 मई,2010 का संलग्नक

रेशम विकास विभाग के आय–व्ययक 2010–11 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(धनराशि हजार रूपये में)

क0 सं0	अनुदान सं0–30–लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पानेट प्लान	कुल प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	**0212–जैविक रेशम विकास**		
	02–मजदूरी	50	25
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20	
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	30	15
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	100	50
	योग :0212–	**200**	**90**
2	**0213–वृक्षारोपण विकास योजना**		
	02–मजदूरी	50	25
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	50	-
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	100	50
	योग :0213–	**200**	**75**
3	**0214–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनायें**		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	100	-
	योग 0214–	**100**	**-**
4	**0217–जनपद हरिद्वार में अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्रों में रेशम विकास**		
	08–कार्यालय व्यय	50	25
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000	-
	25–लघु निर्माण कार्य	500	250
	42–अन्य व्यय	500	250
	योग :–0217–	**2050**	**525**
5	**0294–रेशम प्रशिक्षण योजना**		
	08–कार्यालय व्यय	40	20
	42–अन्य व्यय	30	15
	44–प्रशिक्षण व्यय	30	15
	योग :0294–	**100**	**50**
	महायोग :–	**2650**	**740**

(रू0 सात लाख चालीस हजार मात्र)

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

Budget 2010-11